

भारत सरकार  
नागर विमानन मंत्रालय  
लोक सभा  
लिखित प्रश्न संख्या : 1097  
गुरुवार, 5 फरवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर  
उड़ान का रद्द होना

1097. श्री के. राधाकृष्णन:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडिगो एयरलाइन द्वारा रद्द की गई उड़ानों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और पिछले कुछ महीनों के दौरान इससे कितने यात्री प्रभावित हुए हैं;

(ख) एयरलाइन द्वारा इन विमानों को रद्द करने के क्या कारण बताए गए हैं और क्या सरकार ने उक्त एयरलाइन से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यात्रियों को होने वाली कठिनाई का आकलन किया है जिसमें वित्तीय हानि, समय पर सूचना की कमी, ठहरने का स्थान देने से या वैकल्पिक व्यवस्था करने से मना करना शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यात्री अधिकारों को कड़ाई से लागू करने, पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करने और भविष्य में विमानन कंपनियों द्वारा मनमाने ढंग से उड़ानों को रद्द करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क): पिछले तीन महीनों के दौरान इंडिगो द्वारा कुल 6936 उड़ानें रद्द की गईं, जिससे 1081680 (एक मिलियन इक्यासी हजार छह सौ अस्सी) यात्री प्रभावित हुए हैं।

(ख): दिसंबर, 2025 के दौरान इंडिगो एयरलाइंस द्वारा उड़ान रद्द करने के कारण प्रचालन का अति अनुकूलन, अपर्याप्त विनियामक तैयारी के साथ-साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट में कमियां और प्रबंधन संरचना और परिचालन नियंत्रण में कमियां थीं। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2025 के दौरान प्रतिकूल मौसम के कारण काफी संख्या में उड़ानें रद्द कर दी गईं।

(ग) और (घ): एयरलाइन को प्रचालन को स्थिर करने, यात्रियों की असुविधा को कम करने और हवाईअड्डों पर फंसे यात्रियों को सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करने का निदेश दिया गया था। इसके अलावा, एयरलाइन को यह भी सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि डीजीसीए द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर), खंड 3, श्रृंखला-एम, भाग - IV के प्रावधानों के अनुसार, रिफंड और मुआवजे का या तो नकद में, बैंक अंतरण के माध्यम से अथवा यात्रा वाउचर के रूप में यात्री की सहमति के अधीन सख्ती से भुगतान किया जाए।

एयरलाइन अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी, निरीक्षण और संपरीक्षाएं की जाती हैं। एयरलाइनों को मुआवजे, धनवापसी और सुविधा मानदंडों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है, और अनुपालन न करने के मामलों में दंड सहित प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, मनमाने ढंग से रद्दकरण को रोकने और यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए एयरसेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत निवारण और मजबूत निगरानी तंत्र मौजूद हैं।

\*\*\*\*\*